विषय सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 444, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 एवं 461।	1–27
परिशिष्ट-1 प्रश्नों के लिखित उत्तर नियम-89 (3) के अन्तर्गत।	28–110
दैनिक निबंध	111–112

टिप्पणी :— किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों से उनके भाषण का संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है।

2. यह बात सही है कि दन्त महाविद्यालय भी अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों की तरह एक शैक्षणिक संस्थान है।

3. उत्तर अस्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 1976 में राज्य के केवल तीन चिकित्सा महाविद्यालय यथा पटना चिकित्सा महाविद्यालय, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय, रांची में कार्यरत चिकित्सकों के पदों को गैर-व्यवसायिक घोषित किया गया था। उक्त आदेश की परिधि में दन्त महाविद्यालय के चिकित्सकों को नहीं रखा गया था।

4. जैसा कि खण्ड—1 के उत्तर में स्पष्ट किया गया है यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेते समय इसके सभी पहलुओं पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

श्री सिंह का स्थानान्तरण

579 श्री सुरज मंडल—क्या मंत्री, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

1. क्या यह बात सही है कि नियम के विपरीत श्री शशि शेखर प्रसाद सिंह, निरीक्षक को पटना में सहायक आयुक्त, उत्पाद के पद पर पदस्थापित किया गया है जबकि स्थापना समिति ने सितम्बर, 1985 में ही उन्हें पटना से हटाने की अनुशंसा की थी।

2. क्या यह बात सही है कि श्री शशि शेखर प्रसाद सिंह से पांच वरीय पदाधिकारी हैं जो अधीक्षक, उत्पाद के पद पर ही पदस्थापित हैं।

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार श्री शशि शेखर प्रसाद सिंह को हटाकर वरीय पदाधिकारियों को उनके स्थान पर पदस्थापित करना चाहती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

श्री थोमस हांसदा—(1) उत्तर नकारात्मक है।

(2) उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। वर्त्तमान वरीयता सूची के आलोक में ही श्री शशि शेखर प्रसाद सिंह सहित अन्य कई निरीक्षकों ने माननीय

पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की हैं जो "ऐडमिट" हो चुका है और अन्तिम रुप से इस पर कोई निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक नहीं लिया गया है, इसलिये विषय सबजुडिस है। अतः इस संबंध में अभी कोई निश्चित उत्तर देना सम्भव नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम फैसले के आलोक में ही आवश्यक कार्रवाई की जायगी।

(3) उपरोक्त खण्ड-2 में वर्णित तथ्यों के आलोक में अभी इस पर कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

रिक्त पदों का भरना

581. श्री बुद्धन प्रसाद यादव—क्या मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह सही है कि प्रशिक्षण सेवा के पदाधिकारियों को वर्ष 1973 में प्रकाशित सेवा इतिहास तथा दिसम्बर 1984 के सरकारी निर्णय के अनुरुप अप्रैल 1985 में सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार उप-निदेशक प्रशिक्षण के पद पर प्रोन्नति के लिए अभियंत्रण में डिग्री की न्यूनतम योग्यता निर्धारित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उप-निदेशक प्रशिक्षण के पद पर प्रोन्नति की योग्यता का संकल्प आजतक निर्गत नहीं किया गया है।

(3) क्या यह बात सही है कि मुख्य मंत्री ने अपने वृत-संख्या-1927 दिनांक 11 जून 1984 एवं 209 दिनांक 18 जनवरी 1986 के द्वारा खंड-1 के सरकारी निर्णय को कार्यान्वित करते हुए उप-निदेशक के रिक्त पदों को प्रोन्नति से भरने का आदेश दिया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो खण्ड-1 के सरकारी निर्णय को कार्यान्वित करते हुए उप निदेशक प्रशिक्षण के रिक्त पदों को शीघ्र प्रोन्नति से भरने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक नहीं तो क्यों ?

श्रीमती उमा पाण्डेय—(1) वस्तुस्थिति यह है कि 1973 का कथित सेवा इतिहास विभाग द्वारा प्रकाशित नहीं है। दिसम्बर 1984 एवं अप्रैल 1985 में विभाग द्वारा जिस प्रस्ताव का उल्लेख है वह बिहार प्रशिक्षण सेवा नियमावली का एक अंग है। नियमावली अगले सरकार के विचाराधीन है।